**17. एक डिक्री के निष्पादन में सम्पत्ति की सदोष कुर्की हेतु नुकसानी के लिए वाद**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

अबक ........ वादी

बनाम

कखग ................... प्रतिवादी

**ऊपर नामित वादी निम्नलिखित रूप में सादर निवेदन करता है-**

1. यह कि प्रतिवादी ने डिक्री सं0 .......................... के निष्पादन में ................. ........... रुपये की उपर्युक्त डिक्री के समाधान के लिए .......... ................ बीघा क्षेत्र, दो बैल, एक भैंस तथा दो गायों को गाँव ......................... में स्थित भूखण्ड सं0 में गेहूं की खड़ी फसलों की कुर्की करवाया और कुर्क की गयी सम्पत्ति एवं पशुओं को न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये प्रापक....... ......... ............. की अभिरक्षा में दिया गया।
2. यह कि कुर्की गयी सम्पत्ति एवं पशु तारीख .... ......... ....................... तक दो महीने के लिए उपर्युक्त प्रापक की अभिरक्षा में रही जब इन सभी को डिक्री में कतिपय अन्तर्निहित दोष के कारण अवैधानिक होने वाले के लिए कुर्की निष्कर्ष पर छोड़ दिया गया और डिक्री के वाद सं........ ......... ................. सन् ......... ............ में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिये जाने पर, देखे , वादी के स्थगन आवेदन पत्र पर उनके आदेश दिनांकित......... ............ को।
3. यह कि फसल भाड़े पर लिये गये श्रमिकों के माध्यम से उपर्युक्त प्रापक के पर्यवेक्षण के अधीन काटा गया है और गांव का योग्य भाग का दुर्विनियोग किया जा चुका है। उपर्युक्त पशओं का भी दूध को हानि के अलावा मूल्य में अवधारण कर दिया गया। अतएंव नुकसानी, प्रतिवादी की प्रेरणा पर नियुक्त किये गये उपर्युक्त प्रापक के हाथों निम्नलिखित रूप में हुई -

**नुकसानियों की विशिष्टियां**

1. भाड़े पर रखे गये श्रमिकों द्वारा दुर्विनियोग एवं असावधानी पूर्वक हैण्डलिंग के कारण फसल की हानि......... ................/रुपये

पशुओं के दुग्ध की हानि ..... ......... ................./रुपये

पशुओं का क्षय........................../रुपये

1. वाद हेतुक तारीख ........ ......... ...................को उत्पन्न हुआ जब सम्पत्ति एवं पशुओं का सदोष कुर्की की गयी और इस न्यायालय के पास वाद का विनिश्चय करने की अधिकारिता थी|
2. यह कि वाद का मूल्यांकन ऊपर निर्धारित यथा निर्धारित नुकसानी की सम्पूर्ण रकम .................... रुपये तथा वाद के दाखिल किये जाने से उसके संदाय की तारीख तक ब्याज पर मूल्यांकन किया जाता है और न्यायालय फीस का उस पर संदाय किया जाता है।

**दावाकृत अनुतोष**

वादी वाद की तारीख से उसकी अदायगी की तारीख तक ब्याज सहित प्रतिवादी सं. ........... रुपये के संदाय का दावा करता है।

वादी

जरिये अधिवक्ता

**सत्यापन**

मैं ऊपर नामित वादी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ, कि वादपत्र के पैरा ............. ...... ...... ........... .... .. लगायत .................................. की अन्तर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और ................................... पैरा के वे सभी तथा उसका.......... उस विधिक सलाह पर आधारित है। जिसे मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ।

मैं इस दिनांक ....... को सत्यापित किया गया।

वादी